13

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1944–एक/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–4–2012 – पारित व्दारा – अपर कलेक्टर जिला सिंगरोली – प्रकरण कमांक 36/2010–11 निगरानी

सुखनन्दन कुम्हार पुत्र सखीलाल कुम्हार
ग्राम हर्दी तहसील देवसर जिला सिंगरोली ——आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर सिंगरोली
2– मोतीलाल पुत्र रामकरण कुम्हार
ग्राम हर्दी तहसील देवसर जिला सिंगरोली ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री संजय शुक्ला )
( अनावेदक–2 के अभिभाषक श्री राजेश शुक्ला )

आ दे श

(आज दिनांक 1 – 08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 36/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–4–2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार देवसर जिला सीधी के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि ग्राम हर्दी स्थित भूमि सर्वे कमांक 70 रकबा 0.40 एंव 64 रकबा 0.42 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया है) को 2.10.84 के पूर्व से कब्जे के आधार पर व्यवस्थापित किया जावे। नायव तहसीलदार तहसील देवसर ने प्रकरण कमांक 89 अ 19/97–98 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनॉक 28–9–1998 से वादग्रस्त भूमि पर आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार पर प्रदान कर दिए। नायव तहसीलदार देवसर के आदेश दि. 29–8–1998 के विरूद्ध अनावेदक क–2 ने अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। प्रकरण अपर कलेक्टर सीधी के यहां प्रकरण प्राप्त होने पर पक्षकारों की सुनवाई की गई तथा आदेश दिनांक 26–4–12 पारित करके भूमि व्यवस्थापन में अनियमितता पाने के कारण वादग्रस्त भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने नायव तहसीलदर देवसर के समक्ष भूमि व्यवस्थापन का आवेदन दिया है जिसके कालम नंबर-6 में अंकन है कि दखल रहित भूमि का कब्जा लेने का दिनांक 2 अक्टूबर 84 के पूर्व से है , जबकि वादग्रस्त भूमि पर नायव तहसीलदार देवसर ने आदेश दिनॉक 28-9-1998 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार पर प्रदान किये हैं अर्थात भूमि का व्यवस्थापन नहीं किया है जिसके कारण नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 28-9-98 आरंभ से ही दूषित श्रेणी प्रतीत होता है।

5/ नायव तहसीलदार देवसर के प्रकरण कमांक 89 अ 19/97-98 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक के भूमि व्यवस्थापन आवेदन पर नायव तहसीलदार ने प्रथम आर्डरशीट दिनांक 9-6-1998 को लिखकर प्रकरण प्रारंभ किया है जिसकी आर्डरशीट दिनांक 9-6-98, 9-7-98 एंव 5-8-98 इस प्रकार हैं :-

9-6-98 : आवेदक सुखनन्दन कुम्हार तनय सखीलाल कुम्हार सा. निवास व्दारा शासकीय से भूमिस्वामी हक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया। प्रकरण दर्ज हो इस्तहार जारी हो। पेशी 9-7-98

9-7-98 प्रकरण पेश । आवेदक उपस्थित । आवेदक कब्जे संबंधी खसरे की नकल पेश करे। पेशी 5-8-98

5-8-98 प्रकरण पेश। आवेदक उपस्थित। प्रकरण वास्ते स्थल जांच हेतु। पेशी 2-9-98

आर्डरशीट दिनांक 9-6-98 के कम में इस्तहार जारी किया गया है जिसकी प्रति नायव तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न है । यह इस्तहार किस दिनांक को जारी किया गया एंव आपत्ति आमंत्रण हेतु कौनसी तिथि नियत की गई , इस्तहार में अंकन नही है अपितु प्रथक स्याही व ओव्हर राईटिंग करके वाद में नीचे लिख दिया गया है *जारी 9-6-98 पेशी 9-7-98* इस प्रकार इस्तहार संदेहास्पद है। इस्हार के पीठ पृष्ठ पर दो निशानी अंगूठा एंव तीन सम-राईटिंग के एक ही पेन के हस्ताक्षर है जिस पर तामील कुनिन्दा देवसरन ने लिखा है वाद तामील पेश है परन्तु इस्तहार का प्रकाशन कहां कहां किया गया, किस दिनांक को किया गया एंव प्रकाशन उपरांत किस दिनांक को इस्तहार वापिस किया गया, इस्तहार पर तिथि काऐसा अंकन नहीं है। नायव तहसीलदार ने इस्तहार जारी करने पर इस्तहार में भी अंकित नहीं किया है कि इस्तहार का प्रकाशन कहां कहां किया जाना है, जबकि इस्तहार का प्रकाशन तहसील के नोटिस बार्ड पर, ग्राम पंचायत भवन पर, ग्राम के चौपाल पर कराते हुये ग्राम में डोढ़ी पीटकर मुनादी कराना अनिवार्य है एंव ग्राम

पंचायत से भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन वावत् अभिमत लिया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार इस्तहार का प्रकाशन पूर्णरूप से संदिग्ध है जिसके कारण यही माना जावेगा कि भूमि व्यवस्थापन की सम्यक सूचना न होने के कारण अनावेदक कमांक-2 को भूमि व्यवस्थापन की जानकारी नहीं हुई एंव इस्तहार का प्रकाशन नियमानुसार नहीं किया गया है जिसके कारण नायव तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-9-98 निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

6/ नायव तहसीलदार ने भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 28-9-98 पारित करने के पूर्व यह भी जांच नहीं की है कि आवेदक के पास एंव उसके परिवार के पास पूर्व से कितनी भूमि है एंव वह भूमि व्यवस्थापन का पात्र है अथवा नहीं ? नायव तहसीलदार की आर्डरशीट दिनांक 5-8-98 में अंकित है कि प्रकरण पेश। आवेदक उपस्थित। प्रकरण वास्ते स्थल जांच हेतु। पेशी 2-9-98 को प्रकरण लिया ही नहीं है एंव सीधे दिनांक 28-9-98 को अंतिम आदेश पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान कर दिये हैं । नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 89 अ 19/97-98 में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट , स्थल पर तैयार कराया गया पंचनामा आदि भी संलग्न नहीं है और स्थल निरीक्षण करने का उल्लेख भी किसी आर्डरशीट में नहीं है इस प्रकार नायव तहसीलदार द्वारा आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये दिनांक 2-9-98 स्थल निरीक्षण के लिये लगाकर मौके की जांच किये बिना ही सीधे दिनांक 28-9-98 को अंतिम आदेश पारित करके वादग्रस्त भूमि आवेदक को देने में त्रृटि की गई है जिसके कारण अपर कलेक्टर जिला सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 36/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-4-2012 से नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की गई है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 36/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-4-2012 उचित होने से निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर